अनुदान संख्या 57 - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 57 – DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	47772,88,00	53330,83,00	52546,93,51	-783,89,49
पूरक	Supplementary	5557,95,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				725,83,19

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹78389.49 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011में प्राप्त किए गए ₹555795.00 लाख के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹78389.49 lakhs) constituted 14 percent of supplementary grants of ₹555795.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	422.00	365.13	287.45	-77.68
पु.	R.	-56.87			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	3542625.00	4228330.69	4223580.89	-4749.80
पू.	S.	442502.00			
पु.	R.	243203.69			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	299697.00				
पू.	S.	40002.00		2.02	..	-2.02
पु.	R.	-339696.98				
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	12588.00				
पू.	S.	1.00		28813.00	28812.00	-1.00
पु.	R.	16224.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	911131.00				
पू.	S.	73290.00		991175.42	990199.63	-975.79
पु.	R.	6754.42				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	10825.00				
				11813.55	11813.54	-0.01
पु.	R.	988.55				

(I) ₹345226.00 लाख का प्रावधान चवालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹344709.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹345226.00 lakhs remained wholly unutilised under forty four heads; of these ₹344709.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(A) Major Head "2202"-

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम'' - ₹250.00 लाख बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Elementary Education – Other Expenditure - The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)"- ₹250.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territories without Legislature.

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(b) "Secondary Education - Other Expenditure"-

(i) ''शिक्षा का व्यावसायीकरण'' - ₹270.00 लाख स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(i) "Vocationalisation of Education" – ₹270.00 lakhs - due to scheme being under revision.

(ii) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' - ₹2565.00 लाख कार्यक्रम प्रबंधन तथा मूल्यांकन समूह द्वारा स्कीम का अनुमोदन न किए जाने के कारण थे।

(ii) "Information and Communication Technology in Schools" - ₹2565.00 lakhs - due to non-approval of the scheme by Programme Management and Evaluation Group.

(iii) ''माध्यमिक विद्यालय में नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान'' - ₹300.00 लाख संस्थाओं से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थे।

(iii) "Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS) - Grants to Institutions" - ₹300.00 lakhs - due to receipt of less number of proposals from Institutions.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(B) Major Head "2552" -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण''-

(a) "Secondary Education - Research & Training"-

(i) ''राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद''- ₹400.00 लाख;

(i) "National Council of Educational Research and Training" – ₹400.00 lakhs;

(ii) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' - ₹4000.00 लाख;

(ii) "Information and Communication Technologies in Schools"- ₹4000.00 lakhs;

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता''-

(b) "Secondary Education – Assistance to Non-Government Secondary Schools" -

(i) ''केन्द्रीय विद्यालय संगठन'' - ₹3500.00 लाख;

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan" – ₹3500.00 lakhs;

(ii) ''नवोदय विद्यालय समिति'' - ₹13850.00 लाख;

(iii) ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' - ₹17246.00 लाख;

(iv) ''उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम'' - ₹4250.00 लाख;

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(i) ''राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम'' - ₹500.00 लाख ;

(ii) ''माध्यमिक विद्यालय में नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' - ₹700.00 लाख;

(iii) ''माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम'' - ₹1000.00 लाख;

(iv) ''भाषा शिक्षकों की नियुक्ति'' - ₹150.00 लाख;

(घ) ''माध्यमिक शिक्षा - राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - ₹905.00 लाख;

(ङ) ''प्रारम्भिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - ₹5000.00 लाख;

(च) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम''-

(i) ''प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम'' - ₹11690.00 लाख; और

(ii) "Navodaya Vidyalayas Samiti" – ₹13850.00 lakhs;

(iii) "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"- ₹17246.00 lakhs;

(iv) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence"- ₹4250.00 lakhs;

(c) "Secondary Education – Other Expenditure" –

(i) "National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" – ₹500.00 lakhs;

(ii) "Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)" – ₹700.00 lakhs;

(iii) "Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for students of Secondary and Higher Secondary Schools" - ₹1000.00 lakhs;

(iv) "Appointment of Language Teachers" - ₹150.00 lakhs;

(d) "Secondary Education - National Means cum Merit Scholarship Scheme"- ₹905.00 lakhs;

(e) "Elementary Education – Teachers Training - Strengthening of Teachers Training Institutions" – ₹5000.00 lakhs;

(f) "Adult Education - Other Adult Education Programme"-

(i) "Adult Education and Skill Development Scheme"- ₹11690.00 lakhs; and

(ii) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता" - ₹1210.00 लाख।

(छ) "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय" -

(i) "विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" - ₹94401.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "सर्व शिक्षा अभियान" - ₹179790.50 लाख (₹40000.50 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(iii) "मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम" - ₹500.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त सत्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) "राष्ट्रीय बाल भवन/राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन समिति" - ₹143.00 लाख; और

(v) "अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम" - ₹108.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ज) "माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - शिक्षा का व्यावसायीकरण" - ₹250.00 लाख स्कीम के संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme"- ₹1210.00 lakhs.

(g) "Elementary Education – Other Expenditure"-

(i) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" – ₹94401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Sarva Shiksha Abhiyan" – ₹179790.50 lakhs (including supplementary grant of ₹40000.50 lakhs); and

(iii) "The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)"- ₹500.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh).

Provisions under the above seventeen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount

(iv) "National Bal Bhawan/National Children's Museum Bal Bhawan Society"- ₹143.00 lakhs; and

(v) "The scheme for Infrastructure Development in Minority Institutions"- ₹108.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern Region States.

(h) "Secondary Education – Other Expenditure – Vocationalisation of Education"-₹250.00 lakhs - due to non-finalisation of revision of the scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - शिक्षा का व्यावसायीकरण" - ₹1730.00 लाख स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग" के अंतर्गत ₹134.55 लाख की बचत (₹422.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन के लिए कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा" -

(क) "सर्व शिक्षा अभियान - स्थापना और संबंधित व्यय" - ₹177.28 लाख की बचत (₹2636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम"-

(i) "खाद्यान्नों की लागत" - ₹14627.46 लाख (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय निवेश निधि की ओर से व्यय पर प्रतिबंध, भारतीय खाद्य निगम से प्रतिपूर्ति के कम प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्यों से विधिवत सत्यापित अन्न बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" - ₹793.66 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिपूर्ति संबंधी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय संघटक" - ₹782.55 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, व्यावसायिक सेवाओं,

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schems - Secondary Education - Other Grants - Vocationalisation of Education"- ₹1730.00 lakhs - due to scheme being under revision.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of School Education and Literacy"- saving of ₹134.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹422.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards publications.

(III) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education"-

(a) "Sarva Shiksha Abhiyan - Establishment and Related Expenditure"- saving of ₹177.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2636.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals for advertisement and economy measures.

(b) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" -

(i) "Cost of Food Grains" - saving of ₹14627.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to restriction of expenditure from National Investment Fund, receipt of less proposals of reimbursement from Food Corporation of India and non-receipt of duly verified grain bills from States.

(ii) "Assistance to Union Territories without Legislature" – saving of ₹793.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims from some of the Union Territories.

(iii) "National Component" – saving of ₹782.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due

विज्ञापन के लिए कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने, कम संख्या में क्षेत्र दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय बाल भवन - राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन समिति'' - ₹335.05 लाख की बचत (₹1852.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और धीमी गति से व्यय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''माध्यमिक शिक्षा'' -

(क) ''गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान'' - ₹375.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और धीमी गति से व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' - ₹4555.24 लाख की बचत (₹152752.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अभी हाल ही में शुरू होने की वजह से राज्य सरकारों से प्रस्तावों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - ₹728.72 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान'' - ₹185.60 लाख की बचत (₹200.00 लाख के

to non-filling up of vacant posts, receipt of less number of proposals for professional services, advertising, less number of field visits and economy measures.

(c) "Other Expenditure – National Bal Bhawan - National Children's Museum Bal Bhawan Society" - saving of ₹ 335.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1852.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and slow pace of expenditure.

(B) "Secondary Education"-

(a) "Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(i) "National Institute of Open Schooling" - saving of ₹375.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and slow pace of expenditure.

(ii) "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - saving of ₹4555.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹152752.00 lakhs) was due to late receipt of proposals from State Governments, scheme being newly launched.

(b) "Other Expenditure"-

(i) "Information and Communication Technology in Schools - Grants to Voluntary Organisations" – saving of ₹728.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(ii) "Information and Communication Technology in Schools - Grants to Union Territories without Legislature"– saving of ₹185.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs)

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, बैठकों आदि,गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय'' - ₹140.00 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकों और कार्यशालाओं को कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''प्रौढ़ शिक्षा'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय'' - ₹592.95 लाख की बचत (₹1180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, विज्ञापन प्रसारण और श्रव्य तथा दृश्य स्पॉटस का दूरदर्शन से प्रसारण के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम'' -

(i) ''प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम'' - ₹67941.96 लाख की बचत (₹105010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता'' - ₹1622.12 लाख की बचत (₹10890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य संसाधन केन्द्रों और संस्थाओं से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय - संगोष्ठियों, समितियों बैठक आदि गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय'' - ₹124.45 लाख (₹207.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम प्रस्ताव

was due to receipt of less proposals from the Union Territories.

(iii) "ICT in schools- Expenditure on Seminars, Conferences, Workshop, Meeting etc., TA/DA to Non-Official Members" - saving of ₹140.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to holding of less number of meetings and workshops.

(C) "Adult Education" –

(a) Direction and Administration – Directorate of Adult Education" - saving of ₹592.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1180.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of programme for advertising broadcasting, telecasting of audio and video spots and economy measures.

(b) "Other Adult Education Programmes"-

(i) "Adult Education and Skill Development Scheme" - saving of ₹67941.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105010.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(ii) "Support to NGOs /Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme" – saving of ₹1622.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10890.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Resource Centres and Institutions.

(c) "Other Expenditure - Expenditure on Seminars Committees, Meeting etc./TA/DA to Non-Official Members" - saving of ₹124.45 lakhs (against the sanctioned

प्राप्त होने और बैठकों तथा संगोष्ठियों को कम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹207.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for advertising and publicity and holding of less meetings and seminars.

(घ) ''सामान्य'' -

(i) ''छात्रवृत्तियां - राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - ₹3166.43 लाख की बचत (₹8145.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अर्हता संबंधी कुछ मानदंडों को पूरा न किए जाने की वजह से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''अन्य व्यय - शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार'' - ₹127.90 लाख की बचत (₹308.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिक्षकों के भोजन और आवास व्यवस्था प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(d) "General"-

(i) "Scholarship - National Means cum Merit Scholarship Scheme"- saving of ₹3166.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8145.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments and Union Territories owing to non-fulfillment of certain eligibility criterion.

(ii) "Other Expenditure – National Award to Teachers"- saving of ₹127.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹308.00 lakhs) was due to requirement of less funds for boarding and lodging charges of teachers.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

(क) ''माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम'' - ₹3294.82 लाख की बचत (₹8899.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और नवसृजित वस्तु शीर्ष ''पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन'' को निधियों का पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''भाषा शिक्षकों की नियुक्ति'' - ₹735.02 लाख की बचत (₹1348.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।

(IV) Under Major Head "3601" –"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secondary Education - Other Grants" -

(a) "Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools" - saving of ₹3294.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8899.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments and re-allocation of funds to newly created object head "Creation of Capital Assets".

(b) "Appointment of Language Teachers" - saving of ₹735.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1348.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the State Governments.

(खा) "प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण" - ₹10513.75 लाख की बचत (₹42870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संशोधनाधीन होने और नवसृजित वस्तु शीर्ष "पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन" को निधियों का पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

(B) "Elementary Education – Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" – saving of Rs 10513.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42870.00 lakhs) was due to scheme being under revision and re-allocation of funds to newly created object head "Creation of Capital Assets".

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत ₹400.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संशोधनाधीन होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Elementary Education (Teacher training) - Strengthening of Teachers Training Institutions" – saving of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to scheme being under revision and receipt of less proposals.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹124.20 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत और 63 प्रतिशत थी।

(VI) Under two heads savings of ₹124.20 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 47 percent and 63 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹354905.53 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹442503.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹354905.53 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹442503.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202"-

(क) "प्रारम्भिक शिक्षा" -

(i) "सर्व शिक्षा अभियान - सामान्य संघटक" - ₹161175.55 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹161163.01 लाख था।

(ii) "आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण - प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियां" - ₹137200.00 लाख।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" -

(i) "अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्" - ₹1587.00

(A) Major Head"2202"-

(a) "Elementary Education" -

(i) "Sarva Shiksha Abhiyan - General Component"- ₹161175.55 lakhs. Actual excess, however, was ₹161163.01 lakhs.

(ii) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh" - ₹137200.00 lakhs.

(b) "Secondary Education"-

(i) "Research and Training - National Council of Educational Research and

लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1586.70 लाख था।

(ii) ''गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता'' -

(1) ''केन्द्रीय विद्यालय संगठन'' - ₹24779.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹24777.60 लाख था।

(2) ''तिब्बती शरणार्थी बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं (तिब्बती विद्यालय समिति)'' - ₹326.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹ 325.70 लाख था।

(3) ''नवोदय विद्यालय समिति'' - ₹3850.00 लाख।

(4) ''उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम'' - ₹9763.98 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि के आय और व्यय लेखा को अंतरण'' - ₹16224.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹16223.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

(i) ''अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए स्कीम'' - ₹1333.43 लाख का अधिक व्यय (₹965.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Training"- ₹1587.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1586.70 lakhs.

(ii) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools"-

(1) "Kendriya Vidyalaya Sangathan"- ₹24779.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹24777.60 lakhs.

(2) "Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society)" - ₹326.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹325.70 lakhs.

(3) "Navodaya Vidyalayas Samiti"- ₹3850.00 lakhs.

(4) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence"- ₹9763.98 lakhs.

(B) Major Head "3475"- "Elementary Education - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Income and Expenditure Account of National Investment Fund" – ₹16224.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹16223.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Elementary Education - Other Grants"-

(i) "The scheme for Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI)"- excess of ₹1333.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹965.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear proposals received from the States.

(ii) ''मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम'' - ₹5898.00 लाख का अधिक व्यय (₹4249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' - ₹6223.23 लाख का अधिक व्यय (₹31685.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

(i) ''राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम'' - ₹2819.28 लाख का अधिक व्यय (₹4250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) ''माध्यमिक विद्यालय में नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' - ₹2092.12 लाख का अधिक व्यय (₹5800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - राज्यों को सहायता'' - ₹3689.16 लाख का अधिक व्यय (₹73290.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹882622.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता'' - ₹1456.54 लाख का अधिक व्यय (₹8068.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा

(ii) "The scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)"- excess of ₹5898.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4249.00 lakhs);

(b) "Secondary Education - Research and Training - Information and Communication Technologies in School" - excess of ₹6223.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31685.00 lakhs);

(c) "Secondary Education - Other Grants"-

(i) "National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" - excess of ₹2819.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4250.00 lakhs);

(ii) "Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)"- excess of ₹2092.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5800.00 lakhs); and

(d) "Elementary Education – National Programme of Mid Day Meals in Schools- Assistance to States"- excess of ₹3689.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹882622.00 lakhs including supplementary grant of ₹73290.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to requirement of additional funds to clear proposals received from the States and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Elementary Education – National Programme of Mid Day Meals in Schools- Assistance to Union Territory Governments" – excess of ₹1456.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8068.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear

पुदुचेरी से प्राप्त प्रस्तावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. *प्रारंभिक शिक्षा कोष:-*

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर 2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया ।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय ''सर्व शिक्षा अभियान'' और ''मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम'' पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी । किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में अन्य बजटीय संसाधनों से वहन किया जाएगा । इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण अन्य बजटीय संसाधनों के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा ।

शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में नव गठित प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2010-11 में ₹14433.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था । सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2010-11 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी ।

proposals received from Union Territory of Delhi and Puducherry.

3. *Prarambhik Shiksha Kosh:-*

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable funds called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes “Sarva Shiksha Abhiyan’ and “Mid-Day Meal Scheme”. Expenditure incurred on these schemes, in any financial year, shall initially be incurred from Other Budgetary Resources (OBR). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after OBR is exhausted.

A provision of ₹14433.00 crores was made in the Union Budget 2010-2011 for initial transfer to the newly created Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2010-2011 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2010-11 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था : -

The Account of the Fund for the year 2010-11 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening balance	36,81,56
प्राप्तियां	Receipts	15805,00,00
अदायगियां	Payments	15804,99,43
अंतशेष	Closing balance	36,82,13